दावा अन्तर्गत धारा 53, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादीगण की ओर से :– श्री राजुराम चौधरी ।
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1 से 64) :– कि ओर से कोई नहीं।
अप्रार्थीगण सख्या (65) की ओर से :– राज–पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03 / 04 / 2025

वादीगण का वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पडासला के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.2752 हैक्टेयर खसरा नम्बर 669 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 64 को सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देने के बावजुद कोई नहीं उपस्थित हुए। जिनके विरूद्व दिनांक 30.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 64 तक अपने–अपने हिस्से की जमीन का बन्टवारा करने बाबत प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 26.04.2023 को जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं को सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधिवक्ता वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल मिसल किया जा कर हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग की है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

चूकि वादीगण के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद वादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादीगण का वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया गया है।

तहसीलदार बापिणी